[illegible]य उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

[illegible] अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

[illegible] – 222/2014 निर्णय दिनांक :–29.11.19

[illegible] दावा :

1. [illegible]नेश कुमार पुत्र श्री नवलराम जाति रेगर निवासी राजमजहल तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. लेखराज पुत्र श्री नवलराम जाति रेगर निवासी राजमजहल तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

– प्रार्थीगण –

बनाम

1.लादू पुत्र छोटू जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)
2.भंवरलाल पुत्र श्री लादू जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)
3.भूला पुत्री केसरा पत्नी रामकिशन जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)
4.गंगा पुत्री केसरा पत्नी प्रहलाद जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)
~~5.केसर पुत्री छोटू जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)~~
5/1 कमला पुत्री केसर पत्नी भंवरलाल जाति बलाई निवासी राजमहल तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)
6.तहसीलदारजी दूनी/उपपंजीयक दूनी जिला–टोंक

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–

श्री रमेश कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री सुनिल शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5/1

<u>वाद बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्राथ्रीगण व अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 की संयुक्ति खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता संख्या 157 ख. नं. 167 रकबा 0.51 है0, ख. नं. 168 रकबा 0.10 कुल किता 2, कुल रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक में स्थित है, में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है, तथा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 का 2/3 हिस्सा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने मौखिक रूप से हिस्सानुसार बंटवार कर रखा था और उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा–काश्त चले आ रहे है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 लगान, पिलाई लगान जमा करवाने व प्रार्थीगण को भूमि में से आने जाने में काफी परेशान करते हैं तथा आये दिन प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग व कब्जाकाश्त में बाधा उत्पन्न करते है। वर्तमान में प्रार्थीगण सहमति से प्राथ्रना पत्र में वर्णित

2

[illegible] /3 हिस्से की भूमि राजमहल–देवली मुख्य रोड के हिस्से की भूममि जो मुख्य [illegible] पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को उनके जायज हक व अधिकारो से वंचित [illegible] है। प्रार्थीगण उक्त भूमि में खसरा नम्बर अनुसार पूर्व से पश्चिम की तरफॅ बंटवारा [illegible] अपने हिस्से की भूमि ी अलग से राजस्व रिकॉर्ड में खाता कायम करवाना चाहते है। [illegible] अप्रार्थीगण यनं. 1 ता 5 प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने में बाधा उत्पन्न करते है [illegible] ऐलानिया धमकी देते है कि हम अन्य को इस भूमि को बेचान कर देंगे। अतः अप्रार्थीगण [illegible] ता 5 को उक्त कृत्य करने से रोकने के लिए जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला [illegible] पाबन्द करना आवश्यक है कि वे उक्त वर्णित आराजी को किसी अन्य दिगर व्यक्ति [illegible] रहन, दान, बेचान, वसीयत आदि या अन्य किसी तरह से हस्तान्तरित नहीं करें तथा [illegible] रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 5/1 की ओर से श्री सुनिल कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 में केवल उक्त उनवानी वाद पेश करना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र चरण नम्बर 2, 3, व 4 जिस प्रकार से लिखा है, स्वीकार है। प्रार्थना पत्र चरण नम्बर 5, 6, 7, 8, व 9 जिस प्रकार लिखा है, अस्वीकार है। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 6 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही की है और न ही उनके साथ लडाई झगडा किया है। प्रार्थीगण को मौके पर उनके हिस्से के प्लाट से कभी बेदखल नही किया गया है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 ने कभी प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा नही किया है और न ही उनके कब्जे काश्त की भूमि में बाधा उत्पन्न की है। अप्रार्थीगण ने 1 ता 5 द्वारा प्रार्थीगण का कभी भी रास्ता नही रोका गया है और न ही जान से मारने की ऐलानिया धमकी दी है। जब प्रार्थीगण की क्रय शुदा भूमि मुख्य सडक राजमहल देवली के अडवा नही होने से अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे कैसे बाधा उत्पन्न कर सकते है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि में मुख्य सडक से काफी पीछे की तरफ भूमि होने से अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नही है।

विशेष आपत्तिया–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि में से आराजी खाता संख्या 157 खसरा नम्बर 167 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर-168 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 में से विक्रेतागण ने अपने कब्जे अनुसार 1/3 सम्पूर्ण हिस्से की भूमि को जरिये रजि0 विक्रय पत्र खरिद किया था प्रार्थीगण को बेचान की गई भूमि के विक्रेतागण का प्रार्थना पत्र में वर्णित संयुक्त भूमि में पूर्व दिशा की तरफ 1/3 हिस्से की भूमि जो उत्तर से दक्षिण में उनका कब्जा काश्त था वही हिस्सा भूमि प्रार्थीगण ने खरीद किया था तथा इसी उत्तर–दक्षिण दिशा की तरफ प्रार्थीगण ने विक्रेतागण से कब्जा प्राप्त किया था, परन्तु प्रार्थना पत्र में वर्णित संयुक्त भूमि पश्चिम दिशा में अडवा राजमहल देवली मुख्य सडक बनी हुई है। इस कारण भूमि की कीमते बढ जाने के कारण प्रार्थीगण के मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई और बदनियती से प्रार्थीगण ने बिना कब्जे के ही मुख्य सडक की ओर स्थित भूमि का बंटवारा करवाकर भूमि प्राप्त करना चाहते है, जिसका कि उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। आज

उक्त वर्णित भूमि के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण 123 हिस्से की भूमि पर है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय ही मुख्य सडक से लगती हुई भूमि सहित 2/3 हिस्से की भूमि पर काबिज तथा उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रार्थना पत्र में वर्जित भूमि का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बंटवारा करवाने अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 के हिस्से व कब्जे काश्त की की भूमि जो मुख्य सडक ही ओर 2/3 हिस्से की भूमि है से कोई लेना देना नही व इस तरफ कभी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही होने के कारण अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5/1 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न ही नही उठता है। यदि अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5/1 द्वारा अपने हिस्से व कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि जो मुख्य सडक के अडवा स्थित है किसी अन्य को हस्तांतरित करते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति नही होगी । इस कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को इस गलत तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र की आड में जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नही है और न ही प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से खर्चा मुकदमा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की अप्रार्थी पक्षकार नम्बा 5 केसर पुत्री छोटू का स्वर्गवास हो जाने से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विधिवतफ रूप से प्रार्थीगण ने इसकी वारिस कमला पुत्री माता केसर को पक्षकार बना लिया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब के तथ्यो को ही बहस में दोहराया ।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संम्वत 2069–72 के ख. नं. 167 रकबा 0.51 है0, ख. नं. 168 रकबा 0.10 कुल किता 2, कुल रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम राजमहल में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है, तथा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5/1 का 2/3 हिस्सा है। इस बाबत अप्रार्थीगण ने अपने जवाब व बहस में प्रार्थीगण के तथ्यो को गलत बताया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार की हैसियत रखते है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को मूलवाद तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से के उपयोग–उपभोग व कब्जाकाश्त में, किसी प्रकार की दखंलदाजी न करे और उक्त वर्णित भूमि प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली